फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कपासन, जरिये मुख्य प्रबन्धक शैलेन्द्र कुमार वर्मा, सबसिटी सेन्टर रेती स्टैण्ड, उदयपुर, राजस्थान 313001 **– प्रार्थी**

बनाम

1. मैसर्स चेतन ट्रेडर्स जरिये प्रोपराईटर श्री रतन लाल सुथार सेठजी की बगीची, स्टेशन रोड, कपासन जिला चितौडगढ़ **– ऋणी**

– – – अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 13/2023**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 04.09.2023 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा कपासन ने दिनांकः 11.07.2023 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 15.09.2017 कोरूपये 10,00,000/– अक्षरे दस लाख रुपए मात्र का ऋण प्राप्त किया था अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यिक बंधक किया था। **बंधक सम्पत्ति का विवरण :–** श्री रतनलाल सुथार पिता श्री प्यार चन्द सुथार के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 392 वर्ग फिट है जिसका पटटा संख्या 2874, आराजी संख्या 3062, जो कि सुथार मोहल्ला, गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.) में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है किः पूर्व :– आम रास्ता, पश्चिम :– श्री प्रकाश चन्द्र पिता श्री लालुराम का नोहरा, उत्तर :– श्री सोहनलाल पिता श्री धुकलचन्द का मकान, दक्षिण : श्री मोहनलाल पिता श्री तलोक जाट का मकान। विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 23.02.2023 को प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा विपक्षीगण का खाता अक्रियान्वित आस्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हैं। विपक्षीगण के खाते में बकाया राशि 13,12,809.67/– अक्षरे तेरह लाख बारह हजार आठ सौ नौ पैसे सतसठ रूपये मात्र दिनांक 31.01.2023 तक शेष व देय हैं। दिनांक 01.02. 2023 से आगे का ब्यांज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(2) के अंतर्गत दिनांक 23.02.2023 को डिमाण्ड नोटिस विपक्षीगण को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति विपक्षीगण को दिनांक 03.03.2023 को होने के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया हैं। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कॉलम संख्या 2 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा कपासन द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :– श्री रतनलाल सुथार पिता श्री प्यारचन्द सुथार के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 392 वर्ग फिट है जिसका पटटा संख्या 2874, आराजी संख्या 3062, जो कि सुथार मोहल्ला, गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.) में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुसींमा पडौस निम्न प्रकार है कि: पूर्व :– आम रास्ता, पश्चिम :– श्री प्रकाश चन्द्र पिता श्री लालुराम का नोहरा, उत्तर :– श्री सोहनलाल पिता श्री धुकलचन्द का मकान, दक्षिण : श्री मोहनलाल पिता श्री तलोक जाट का मकान।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा कपासन के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा रेलमगरा को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)